

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला  
मासिक पारिश्रमिक और विनियम में दी गई  
क्षतिपूर्ति प्रणाली {अनुच्छेद 4(1) बी (X)}

एअर इंडिया (पूर्व) ने विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया तथा प्रत्येक श्रेणी द्वारा लिया जाने वाला औसत मासिक पारिश्रमिक नीचे दिया गया है :-

क्रम सं०	पदनाम	प्रतिमाह पारिश्रमिक* (रुपए)
1.	निदेशक (इंजीनियरी)	78,000
2.	निदेशक (प्रचालन)	6,32,000
3.	महाप्रबंधक (वित्त/कार्मिक/वाणिज्य)	75,500
4.	महाप्रबंधक (प्रचालन)	6,00,220
5.	उप महाप्रबंधक (वित्त/कार्मिक/वाणिज्य)	64,600
6.	उप महाप्रबंधक (एफ ई)	2,65,500
7.	उप महाप्रबंधक (प्रचालन)	5,68,000
8.	कमांडर	5,46,000
9.	वरि.प्रबंधक (वित्त/कार्मिक/वाणिज्य) इत्यादि	44,750
10.	उप मुख्य विमान इंजीनियर	89,360
11.	प्रबंधक (वित्त/कार्मिक/वाणिज्य) इत्यादि	37,900
12.	वरि. विमान इंजीनियर	75,800
13.	वरि. उड़ान इंजीनियर	2,38,000
14.	कप्तान	4,90,000
15.	उप प्रबंधक (वित्त/कार्मिक/वाणिज्य) इत्यादि	36,830
16.	विमान इंजीनियर	57,700
17.	फर्स्ट ऑफिसर	2,75,000
18.	सहायक प्रबंधक (वित्त/कार्मिक/वाणिज्य) इत्यादि	33,600
19.	सहायक प्रबंधक(एसएस)	28,830
20.	मुख्य केबिन क्रू	62,700
21.	लेखा/भंडार/प्रचालन अधीक्षक (वरिष्ठ)	29,300
22.	मास्टर तकनीशियन	34,300
23.	उप मुख्य केबिन क्रू	59,200
24.	प्रचालक (वरि.श्रेणी)	32,300
25.	वरिष्ठ तकनीशियन	34,300
26.	वरिष्ठ केबिन क्रू	38,000
27.	लेखा/भंडार/प्रचालन/सहायक वरिष्ठ	22,300
28.	प्रचालक	27,500
29.	तकनीशियन	19,100
30.	चपरासी वरि. प्रमुख/ड्राइवर वरि./कनि. प्रचालक	27,600
31.	लेखा/भंडार/प्रचालन सहायक कनि.	19,100
32.	केबिन कर्मी	18,100
33.	चपरासी/लोडर (प्रमुख)/ड्राइवर	22,800

\*एअर इंडिया द्वारा आंशिक रूप से निर्धारित पारिश्रमिक तथा आंशिक रूप से उत्पादकता संदर्भित मॉडल अपनाया जाता है।

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का विवरण विधि की अपेक्षानुसार रखा जाता है तथा यह मुख्यालय और प्रत्येक क्षेत्र में इस कार्य के लिए उत्तरदायी वित्त विभाग के अधिकारी के पास उपलब्ध है ।

प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा  
विनियम (धारा 4(1) ख (x)) में उल्लिखित क्षतिपूर्ति की प्रणाली  
(पूर्व इंडियन एयरलाइन्स)

प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त औसतन मासिक पारिश्रमिक निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	उपनाम	प्रतिमाह पारिश्रमिक* (रुपए)
1.	उप प्रबंध निदेशक	84900
2.	निदेशक (इंजीनियरी)	77600
3.	निदेशक (प्रचालन)	429000
4.	महाप्रबंधक (वित्त / कार्मिक / वाणिज्य)	73900
5.	महाप्रबंधक (प्रचालन)	412700
6.	उप महाप्रबंधक (वित्त / कार्मिक / वाणिज्य)	71500
7.	उप महाप्रबंधक (एफ ई)	306300
8.	उप महाप्रबंधक (प्रचालन)	393600
9.	मुख्य प्रबंधक	69800
10.	कमांडर	318700
11.	वरि.प्रबंधक (वित्त / कार्मिक / वाणिज्य) इत्यादि	67100
12.	उप मुख्य विमान इंजीनियर	151700
13.	वरि. प्रबंधक (एफ ई)	289600
14.	प्रबंधक (वित्त / कार्मिक / वाणिज्य) इत्यादि	60400
15.	प्रबंधक (उड़ानगत सेवाएं) स्थल पर	60400
16.	वरि. विमान इंजीनियर	116800
17.	वरि. इंजीनियर (एस एस)	103400
18.	वरि. उड़ान इंजीनियर	255200
19.	कप्तान	211300
20.	उप प्रबंधक (वित्त / कार्मिक / वाणिज्य) इत्यादि	48300
21.	उप प्रबंधक (उड़ानगत सेवाएं)	56300
22.	विमान इंजीनियर	68600
23.	उड़ान इंजीनियर	161000
24.	इंजीनियर (एस एस)	64100
25.	उत्पादन / निरीक्षण इंजीनियर-I	58400
26.	फर्स्ट ऑफिसर	143900
27.	सहायक प्रबंधक (वित्त / कार्मिक / वाणिज्य) इत्यादि	31100
28.	सहायक प्रबंधक (उड़ानगत सेवाएं)	52400
29.	उप इंजीनियर (एस एस)	53900
30.	उत्पादन / निरीक्षण इंजीनियर-II	51200

31.	अधिकारी (तकनीकी / लेखा / कार्मिक / वाणिज्य) इत्यादि	28600
32.	निरीक्षक / वरि. मास्टर तकनीशियन	46500
33.	सहायक इंजीनियर (एस.एस)	46900
34.	मुख्य केबिन कर्मी	65000
35.	लेखा / भंडार / प्रचालन परीक्षक वरि.	22000
36.	मास्टर तकनीशियन	44000
37.	उप मुख्य केबिन कर्मी	59100
38.	प्रचालक (वरि.श्रेणी)	21300
39.	लेखा / भंडार / प्रचालन परीक्षक	20300
40.	वरि. तकनीशियन	32100
41.	वरि. केबिन कर्मी	29800
42.	लेखा / भंडार / प्रचालन / सहायक वरिष्ठ	18700
43.	प्रचालक	18100
44.	तकनीशियन	24800
45.	चपरासी वरि. प्रमुख / ड्राइवर वरि. / कनि. प्रचालक	16300
46.	लेखा / भंडार / प्रचालन सहायक कनि.	14500
47.	केबिन कर्मी	24600
48.	चपरासी / लोडर (प्रमुख) / ड्राइवर	14300
49.	चपरासी / लोडर / हैल्पर (वरि.)	13700
50.	चपरासी / लोडर / हैल्पर (कनि.)	12000

एयरलाइन द्वारा आंशिक रूप से निर्धारित पारिश्रमिक तथा आंशिक रूप से उत्पादकता संदर्भित मॉडल अपनाया जाता है।

प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण कानून के अंतर्गत उनकी आवश्यकतानुसार तैयार किया जाता है तथा यह मुख्यालय तथा प्रत्येक क्षेत्र के इसे तैयार करने के लिए उत्तरदायी वित्त विभाग में अधिकारी के पास उपलब्ध होता है।

\* निकटतम 100 को पूर्णांकित (जुलाई, 2005 डाटा पर आधारित)